रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2015/अग्रहायण 5, 1937
No. 33] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2015/AGRAHAYANA 5, 1937

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015

आ.अ. 44(अ).— यतः ओडिसा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री कल्पतरू दास का स्थान, जिनकी पदावधि 2 अप्रैल, 2020 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके मृत्यु होने के कारण, 25 जुलाई, 2015 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-चुनाव कराना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वाराः-

(अ) ओडिसा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 16 दिसम्बर, 2015 (बुधवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में :—

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख – 3 दिसम्बर, 2015 (गुरुवार) ;

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 4 दिसम्बर, 2015 (शुक्रवार) ;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 7 दिसम्बर, 2015 (सोमवार) ;

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, - 14 दिसम्बर, 2015 (सोमवार) ; और

(ड.) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 16 दिसम्बर, 2015 (बुधवार); नियत करता है और

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[सं.100/रा.स.-ओडिसा/3/2015 (1)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2015

O.N. 44(E).—Whereas, the seat of Shri Kalpataru Das in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Odisha, has become vacant on 25th July, 2015 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including the 2nd April, 2020; and

Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

Now, therefore, in pursuance of section 147, sub-section (1) of section 39 and section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of the State of Odisha to elect, before 16th December, 2015 (Wednesday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) **appoints,** with respect to the said election; ,

(a) the **3rd** December, 2015 (Thursday), as the last date for making nominations;

(b) the **4th** December, 2015(Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the **7th** December, 2015 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the **14th** December, 2015 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the **16th** December, 2015 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) **fixes the hours** from **9:00 A.M. to 4:00 P.M**., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/CS-OD/3/2015 (1)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015

आ.अ. 45(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम् 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, ओडिसा राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 26 नवम्बर, 2015, को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में, एतद्वारा:—

(i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
सचिव, ओडिसा विधान सभा	श्री भवानी शंकर सेनापती, संयुक्त सचिव, ओडिसा विधान सभा

[सं.100/रा.स.-ओडिसा/3/2015 (2)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2015

O.N. 45(E).—In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Odisha, hereby—

(i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions, in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 26th November, 2015:—

TABLE

Officer Designated as **Returning Officer**	**Officer Appointed as Assistant Returning Officer**
(1)	**(2)**
Secretary, Odisha Legislative Assembly	Sh. Bhawani Sankar Senapati, Joint Secretary, Odisha Legislative Assembly

[No. 100/CS-OD/3/2015 (2)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Principal Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.